न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

Rs.30/-

RS022-II/16

1. हर्ष लाल धर पिता रामभजनधर
2. रविन्द्रधर पिता तेजप्रतापधर
3. अरूण कुमार पिता तेजप्रतापधर
4. कृष्ण कुमार धर पिता तेजप्रताप धर
5. रामनिरंजनधर पिता तीरधर

समस्त निवासी ग्राम हटवा भूधर, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा म0प्र0

------ निगरानीकर्तागण

श्री प्रवेश मिश्रा एड0 द्वारा आज दिनांक 14-1-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1. रामनारायणधर पिता छोटे लालधर
2. जगदम्बा प्रसाद पिता सीतारामधर
3. रामप्रसन्न धर पिता सीताराम धर
4. रामानंद धर पिता सीतारामधर

समस्त निवासी ग्राम हटवा भूधर, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा म0प्र0

--गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्र0क्र0 1439/अपील/11-12 मे पारित आदेश दिनांक 8.1.16 के विरूद्ध रिवीजन अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0भू0रा0सं0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0भू0रा0सं0

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 5022/।।/16 .... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	हर्षलाल धर कार्यवाही तथा आदेश रामनारायण धर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.2.16	यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1439/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 8-01-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।	

प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री प्रवेश मिश्रा एवं अनावेदकगण के केवियट कर्ता के अधिवक्ता श्री संजीव शुक्ला उपस्थित। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निग० स्वीकार करने का निवेदन किया गया तथा केवियट कर्तागण के अधिवक्ता द्वारा केवियट आवेदन मे अंकित बिन्दुओं के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण मे उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों के संदर्भ में निगरानी मेमो मे अंकित तथ्यों तथा केवियट आवेदन में अंकित बिन्दुओं का अवलोकन किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 8-1-16 की प्रमाणित प्रति तथा अनु० अधिकारी के आदेश दिनांक 20-07-12 तथा नामांतरण पंजी क्रमांक 56 आदेश दिनांक 21-8-70 की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया।

अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश मे मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अनु० अधि० द्वारा उनके समक्ष नामांतरण पंजी क्र० 56 आदेश दिनांक 21.8.70 के विरुद्ध अपील पेश की गई थी जिसमे अनु० अधि० द्वारा वर्ष 1970 के आदेश के विरुद्ध म्याद के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं बताया गया एवं बिना पंजी बुलाये अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि यदि पंजी उपलब्ध नहीं थी तो उसकी खोज की जाना चाहिए थी 38 वर्ष बाद अपील करने का कोई औचित्य नहीं था इसके साथ ही यह भी आधार लिया गया कि तीन आदेशों के विरुद्ध अपील सुनवाई में ली गई तथा आदेश दिनांक 30-01-12 के विरुद्ध अपील

[कृ. प. उ.

R - 5022/II/16 रीवा

हरीलाल घर रामना (म०) घर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

नहीं सुनी जा सकती क्योंकि तहसीलदार मऊगंज के आदेश दिनांक 8-10-08 के पालन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 6-9-2011 के आधार पर मूल प्रकरण को तलब करने के आदेश दिनांक 30-9-12 को दिये गये हैं।

उक्त आधार लेते हुए अनु० अधि० के प्रकरण क्रमांक 75/अ-74/11-12 में पारित आदेश दिनांक 20-7-12 को निरस्त कर आवेदक की अपील स्वीकार की गई है।

अपर आयुक्त रीवा द्वारा उपरोक्तानुसार निकाले गये निष्कर्षों के अनुक्रम में अनु० अधिकारी के आदेश दिनांक 20-7-12 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 1. प्रथमतः तो अनु० अधि० के समक्ष अपील नामांतरण पंजी क्र० 56 आदेश दिनांक 21-8-70 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है वहीं आदेश दिनांक 8-10-08 का प्रश्न है तो वह नामां० पंजी में पारित आदेश दिनांक 21-8-70 का पटवारी राजस्व अभिलेख में अमल कराये जाने से संबंधित है तथा आदेश दिनांक 30-9-12 का प्रश्न है तो जब आदेश दिनांक 8-10-08 के बाद भी अमल नहीं हुआ तब अमल के संबंध में आगे कार्यवाही किए जाने हेतु मूल प्र०क्र० 26/अ-74/06-07 जिसमें अमल का आदेश दिनांक 8-10-08 पारित हुआ था को तलब करने से संबंधित है। इस प्रकार अपर आयुक्त का यह आधार लेना कि तीन आदेशों के विरुद्ध अपील की गई है एवं आदेश दिनांक 30-9-12 के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती उचित नहीं है क्योंकि अपील अनु० अधि० के समक्ष मूल आदेश दिनांक 21-8-70 जो नामांतरण पंजी क्र० 56 पर पारित है, के विरुद्ध ही प्रस्तुत की गई है, तीन आदेशों के विरुद्ध नहीं, दो आदेश दिनांक 8-10-08 एवं 30-9-12 तो मूल आदेश दिनांक 21-8-70 के अमल से संबंधित है। 2. द्वितीय यह कि 1970 के आदेश दिनांक 21-8-70 के संबंध में म्याद का प्रश्न है तो इस संबंध में अनु० अधि० द्वारा अपने आदेश में यह अंकित कर विचार किया गया कि जब अनावेदकगण द्वारा आदेश दिनांक 21-8-70 की इत्तलाबी कराये जाने के संबंध में म०प्र० शासन को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 5022/II/16 .... जिला रीवा

हर्षलाल वगैरह — रामनारायण वगैरह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पक्षकार बनाया जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और उस पर से प्र०क्र० 425/अ-74/10-11 पंजीबद्ध किया जाकर तहसीलदार द्वारा इत्तलाबी आवेदन पर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन चाहे जाने पर जब पटवारी जांच करने हेतु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से स्थल पर गया, तब आवेदकगण को नामांतरण पंजी क्र० 56 पर पारित नामांतरण आदेश दिनांक 21-8-70 की जानकारी प्राप्त होने पर विवादित आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 4-1-12 को रीवा में नकल शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा इत्तलाबी प्रकरण में दिनांक 21-2-12 को आपत्ति प्रस्तुत की। जिला कार्या० रीवा में उक्त तथाकथित पंजी जमा न होने की टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उक्त विवादित नामांतरण पंजी की नकल हेतु तह० न्याया० में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया आवे० पत्र क्र० 5888 दिनांक 29-12-11 पर अंकित टीप के अनुसार नामां० पंजी क्र० 56 तह० न्याया० की अ०का० शाखा में जमा होना नहीं पायी गई। तब आवेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी की नकल प्राप्त करने के प्रयास विफल होने पर इत्तलाबी संबंधी प्रकरण क्र० 226/अ-74/06-07 एवं प्र०क्र० 425/अ-74/10-11 के आधार पर जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील पेश किया जाना मान्य करने पर गुणदोष पर निर्णय पारित किया गया है इस प्रकार यह कहना एवं अपर आयुक्त द्वारा आधार लेना कि समयावधि के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं किया गया है उचित नहीं है। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अपील आदेश दिनांक 20-7-12 में गुण दोष पर विस्तृत विवेचना की गई है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्र०क्र० 226/अ-74/06-07 में पारित आदेश दिनांक 8-10-08 मात्र अनावेदक रामनारायण का कथन लेकर ही पारित कर दिया गया। प्रकरण में न तो नामां० पंजी की प्रमाणित प्रति भी नहीं ली गई। इसके साथ ही तह० न्याया० के प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 15-9-08 पर अना० रामनारायण के कथन कराये जाने का उल्लेख तो है किन्तु अनावेदक (रामनारायण जो इस न्याया० में अना० है) के हस्ता० नहीं है	

R- 5022/11/16 रि०

स्थान तथा दिनांक	टिमरनी घाट कार्यवाही तथा आदेश रामनारायण घाट	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	इसके साथ ही अनु० अधि० द्वारा अपनी विवेचना मे यह भी उल्लेख किया है कि आवेदकगण द्वारा जो नामां० पंजी क्र० 56 आदेश दिनांक 21-8-70 की जो छाया प्रति प्रस्तुत की है वह साधारण छाया प्रति है प्रमाणित प्रति या प्रमाणित प्रति की छाया प्रति नहीं है इस प्रकार विवादित नामांतरण पंजी का उपलब्ध न होना तथा विवादित नामांतरण पंजी की प्रमाणित प्रति न होना तथा अवलोकित संदेहास्पद छाया प्रति पर पक्षकारों के सम्मति के हस्ताक्षर न होना तथा इस विवादित संदिग्ध नामांतरण पंजी क्र० 56 पर पारित नामांतरण आदेश दिनांक 21-8-70 के माध्यम से अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर स्वत्व का अंतरण विधिमान्य न मानते हुए अनु० अधि० द्वारा नामां० पंजी क्र० 56 पर पारित आदेश दिनांक 21-8-70 को तथा नामांतरण आदेश दिनांक 21-8-70 के अमल कराये जाने संबंधी आदेश दि० 8-10-08 को अपील प्र०क्र० 75/अ-27/11-12 मे पारित आदेश दिनांक 20-7-12 से निरस्त कर विधिवत आदेश पारित किया गया है। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि ग्राम टेमलाबाड़ (छक्का कोहार) की नामांतरण पंजी क्र० 56 पर पारित नामांतरण आदेश दिनांक 21-8-70 के इतलाबी की कार्यवाही वर्ष 2006-07 तक न कराना आवेदकगण की ओर से की गई अमल की कार्यवाही वर्तमान मे संदेह को जन्म देती है साथ ही जिस आदेश का अमल कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है उस विवादित नामांतरण पंजी क्र० 56 पर पारित आदेश दिनांक 21-8-70 का उपलब्ध न होना भी संदेहास्पद है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रेवा का आक्षेपित आदेश दिनांक 8-1-16 विधि अनुकूल एवं सारवान न होने से निरस्त किया जाता है तथा अनु० अधि० का आदेश दिनांक 20-7-12 स्थिर रखा जाता है। तथा प्रकरण तह० को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे विवादित भूमि के संबंध मे उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए हक अर्जन के अभिलेखों के आधार पर नये सिरे से नामांतरण आदेश पारित करें। आदेश की प्रति अधी० न्यायालयों को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्र० दा०रि० हो। 10.2.16 (सदस्य)	